समाहरणालय, पटना
सामान्य शाखा

फोन नं0 : 0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0 : 2218900
Email : sdcpatnageneralsection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक–LIV-03/2024................../सा0, पटना, दिनांक..................

प्रेषक,

जिलाधिकारी, पटना
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी चुनाव प्राधिकरण
सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, 9वीं मंजिल
टॉवर–ई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली।

विषयः– **बिहार स्टेट कॉपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि० (बिस्कोमान) की वर्त्तमान निर्वाचन प्रक्रिया को रद्द करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय पत्रांक–CEA-12011/25/2023 दिनांक–11.12.2023 के द्वारा जिला दण्डाधिकारी, पटना को बिहार स्टेट कॉपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि० (बिस्कोमान) का निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है। पुनः भवदीय कार्यालय पत्रांक–CEA-12011/25/2023 दिनांक–03.05.2024 के द्वारा इस निर्वाचन की प्रक्रिया को दिनांक–18.06.2024 से 11.07.2024 के बीच निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) द्वारा बिस्कोमान की जिस उपविधि को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, वह सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं थी। उक्त प्रस्तावित उपविधि के अनुमोदित नहीं रहने अथवा अनुमोदन सेन्ट्रल रजिस्टार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी के यहाँ प्रक्रियाधीन होने संबंधी कोई भी जानकारी बिस्कोमान के स्तर से निर्वाची पदाधिकारी को नहीं दी गयी थी।

निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से डेलिगेट्स को भेजे गये पत्रांक–1279 दिनांक– 12.06.2024 में उसी उपविधि के नियम–27 के तहत निदेशक पर्षद् के 21 सदस्यों के निर्वाचन की विधिवत सूचना दी गयी थी (छायाप्रति संलग्न)। दिनांक–02.07.2024 को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त उपविधि का अनुमोदन सेन्ट्रल रजिस्टार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी के आदेश ज्ञापांक–L-11016/17/2008 Reg दिनांक–21.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त आदेश से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त उपविधि नियम–27 में प्रस्तावित संशोधन को भी अस्वीकृत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुरानी उपविधि के नियम–27 के अनुसार निदेशक पर्षद् के केवल–17 सदस्यों का निर्वाचन होना है (छायाप्रति संलग्न), शेष 04 सदस्य नामित होते हैं, जबकि नई प्रस्तावित उपविधि के अनुसार सभी 21 सदस्यों का निर्वाचन किया जा रहा है।

चूँकि निर्वाचन प्रक्रिया ऐसी प्रस्तावित उपविधि के आधार पर प्रारंभ की गयी है, जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत हो चुका है, के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया संचालित रखना नियम संगत नहीं है। अतः दिनांक–18.06.2024 से 11.07.2024 तक निर्धारित बिस्कोमान की वर्त्तमान निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि बिस्कोमान के निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–

जिलाधिकारी, पटना
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान

समाहरणालय, पटना
सामान्य शाखा

फोन नं0 : 0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0 : 2218900
Email : sdcpatnageneralsection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

ज्ञापांक– LIV-03/2024.1479............/सा० दिनांक–02.07.2024

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आशय की सूचना सभी संबंधित डेलिगेट्स/मतदाता एवं उम्मीदवार को अविलम्ब प्रेषित करना, बिस्कोमान की वेबसाईट पर प्रकाशित कराना तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

02.07.24

जिलाधिकारी, पटना
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान